Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, [illegible]पुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं० ...248... /2016–17

वाद का प्रकार – बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(एच) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

23/7/16 झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2074/रा० दिनांक 13.05.2016 द्वारा श्री अरुण कुमार [illegible] निदेशक, भू-अर्जन सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०नि०-1?9/85/2309/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०–914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि

मौजा..... [illegible] ..... खाता सं० 182 [illegible] प्लॉट सं० ...62... [illegible]

रकबा 0.29 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी एक [illegible]

जमाबंदी रैयत ... [illegible] ... के नाम से कायम है।

[illegible]

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध दस्तावेजों के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/जाली रसीद/अवैध [illegible] के आधार पर/दुरभिसंधि के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति पहुँचाना है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की उक्त जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है जिसको बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(एच) के तहत जाँच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनका कारण पृच्छा करें कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(एच) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक .... को उपस्थापित करें।

लिखापित एवं संशोधित

[signature] 23/7/16

अंचल अधिकारी,
[illegible]पुर।

अंचल अधिकारी,
[illegible]पुर।

9/8/18	अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो। अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती हैं अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धनबाद को भेजे। 9/8/18 अंचल अधिकारी, बलियापुर।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, [illegible]

वाद अभिलेख संख्या– 248 /2016 (अन्तर्गत धारा–4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम्..

फुरतु महतो पि0 रामधन महतो
सा0 बड़ादह।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम– बड़ादह थाना नं0– 182 खाता नं0– 62 खेसरा नं0– .... रकबा– 0.21 एकड़ संबंधित आपके नाम से ह0 नं0– [illegible] के पंजी–II भाग........ के पृष्ठ........... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक– 9/8/16 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न–I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, पूर्ववर्ती जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए नियमानुसार अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

[signature] 2/8/16

मुहर

अंचल अधिकारी
[illegible]

तिथि:–

स्थान:–

25/7/16

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case doc

फुरतु महतो
4/8/2016

नोटिस तामिला किया
चौ0 [illegible]
06/8/16